

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
3- ⁰³ / ₂₀₂₀	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक छोटा डोबरो सुन्डी, पिता- स्व० सालुका सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा,, थाना नं०- 649 खाता नं०- 176, प्लॉट नं०- 4655, आंशिक रकवा- 0.21 एकड़ भूमि क्रेता अमलेन कुजुर, पति- श्री बन्दी कुजुर ग्राम- पुलहातु, थाना- सदर, चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-134 दिनांक-11.02.2020 के द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बैल खरीदन एवं भवन निर्माण(मरम्मति) हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता अमलेन कुजुर, पति- श्री बन्दी कुजुर ग्राम- पुलहातु, थाना- सदर, चाईबासा के पास 5,00,000.00/- (पाँच लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता थाना मुफसिल एवं क्रेता थाना सदर चाईबासा के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 02.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक छोटा डोबरो सुन्डी, पिता- स्व० सालुका सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, क्रेता अमलेन कुजुर, पति- श्री बन्दी कुजुर ग्राम- पुलहातु, थाना- सदर, चाईबासा के पास जमीन को कुल 5,00,000.00/- (पाँच लाख) रूपये में मौजा- नरसन्डा,, थाना नं०- 649 खाता नं०- 176, प्लॉट नं०- 4655, आंशिक रकवा- 0.21 एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति नदी दी जाती है।</p> <p>लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p>अस्वीकृत भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	